राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0

'किसान मण्डी भवन', विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक:नियो0/सॉ0/631/2011- 2708 दिनांक: 18.6. ,2011

समस्त सचिव
कृषि उत्पादन मण्डी समितियॉं,
उत्तर प्रदेश।

कृपया इनपुट संख्या–1 सॉख्यिकी अनुभाग का मासिक इनपुट–1 में सही एवं शुद्ध सूचनायें भरे जाने के विषय में पार्श्वांकित पत्रों से संदर्भ लेने का कष्ट करें।

नियो0/सॉ0/631/03–148 दिनांक 21.6.03
नियो0/सॉ0/631/05–770 दिनांक 10.3.05
नियो0/सॉ0/631/03–881 दिनांक 22.6.05
नियो0/सॉ0/631/06–1296 दिनांक 24.6.06
नियो0/सॉ0/631/06–1839 दिनांक 23.6.08

कृषि वर्ष 2010–11 के दौरान मुख्यालय पर प्राप्त कराये गये इनपुटों से सूचनायें संकलित कराये जाने के दौरान यह जानकारी में आया है कि इस इनपुट में प्रेषित सूचनायें लगातार निर्देशों के उपरान्त भी त्रुटि रहित नहीं हो पा रही है। मण्डी समितियों को इस सम्बन्ध में परिनिरीक्षणोंपरान्त पत्र लिखे गये हैं तथा प्रत्येक माह दूरभाष पर भी त्रुटियों के निराकरण के बारे में अवगत कराया जा रहा है। बार–बार निर्देशों एवं दूरभाष पर जानकारी कराये जाने के उपरान्त भी इनपुट में कमियॉं विद्यमान रहना अत्यन्त आपत्तिजनक है।

इनपुट में सूचनायें तैयार करने के बारे में प्रत्येक इनपुट के अन्त में ही निर्देश दिये गये है यदि उनका अध्ययन कर लिया जाये तो त्रुटि की सम्भावना नहीं रह जाती है। मुख्यालय पर दृष्टिगोचर हुई त्रुटियों को देखते हुए इनपुट भेजते समय निम्न बिन्दुओं पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है :–

1. माह जून का इनपुट वार्षिक सूचना से सम्बन्धित होने के कारण अधिक महत्वपूर्ण रहता है। इनपुट संख्या 1.1 के स्तम्भ संख्या 8, 9, 10, 11, 15 की सूचनाओं की भलीभॉंति क्रमिक जॉंच तथा परीक्षण कर लिया जाना चाहिए।
2. इनपुट संख्या 1.1 में छपे हुये निर्दिष्ट कृषि उत्पादों को काटकर उत्पाद का कोई भी अन्य नाम अथवा किस्म नहीं लिखा जाना चाहिए। इसी प्रकार अन्य इनपुटों में भी छपी हुई मद को काटकर कोई अन्य मद न लिखी जाय। अतिरिक्त सूचना के लिये रिक्त पंक्तियों का प्रयोग किया जाय।
3. योग भलीभॉंति जॉंच लिये जायें तथा माह तक की क्रमिक सूचना से सम्बन्धित स्तम्भों में प्रविष्टि करने के उपरान्त उसका भलीभॉंति परीक्षण अवश्य कर लिया जाय।
4. इनपुट संख्या 1.4 में उपमण्डी स्थल के नीचे उन्हीं स्थलों के नाम लिखकर सूचना भरी जाये जो उपमण्डी स्थल के रूप में अधिसूचित है। यदि किसी अधिसूचित उपमण्डी स्थल में आवक/आय शून्य है तो भी उसका नाम लिखकर शून्य सूचना अंकित की जाये। प्रायः देखा जा रहा है कि एक ही उपमण्डी स्थल होने की दशा में उपमण्डी स्थल का नाम नहीं लिखा जाता है, उपमण्डी स्थल के सम्मुख सूचना अंकित कर दी जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। उपमण्डी स्थल का नाम लिखकर ही उसके सम्मुख सूचना अंकित की जाये।
5. प्रतियां तैयार करते समय सावधानी पूर्वक अंकन किया जाए जिससे त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियॉं न हो।

कृपया उक्त परिपेक्ष्य में इनपुटों में सही एवं शुद्ध सूचनायें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। भविष्य में त्रुटि पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(निखिल चन्द्र शुक्ला)
अपर निदेशक (प्रशासन)

पृष्ठांकन एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि–1. समस्त सम्भागीय उपनिदेशक (प्र0/विप0) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि सम्भाग की मण्डी समितियों को अपने स्तर से भी निर्देशित करें तथा सम्भाग स्तर पर परिनिरीक्षण कराकर पायी गयी त्रुटियों के प्रति सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2. प्रोग्रामर, मण्डी परिषद, मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि पत्र को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें जिससे जून, 11 की सूचनायें सही प्राप्त हो सकें।

अपर निदेशक (प्रशासन)
18.06.11